तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अ... जो इस हुक्म की ता... में जारी हुए
5-3-19	पत्रावली पेश हुई P.O. श्री ... अवकाश पर होने से अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 9.4.19 को पेश हो।	
9-4-19	पत्रावली पेश हुई P.O. श्री चुनाव कार्य में व्यस्त है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 28/5/19 को पेश हो।	
28-5-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त नही फर्द बटवारा रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बेगू को पुन: पत्र जारी हो कर पालना रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली पालना हेतु दि. 11-6-19 को पेश हो।	
11-6-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त नही पालना हेतु तहसीलदार बेगू को पुन: पत्र लिखा जाकर पालना चाही जावे। पत्रावली पालना मे दि 25-6-19 को पेश हो।	
25-6-19	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी उपस्थित तहसीलदार बेगूं द्वारा पत्रावली में फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पत्रावली आदेश वास्ते बहस बटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.7.19 को पेश हो	
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मे प्रस्तुत फर्द बटवारा	वादी

Scanned by CamScanner

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... जीतू .... बनाम .... डाली

करम मुकदमा .... नं. 11/18 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस मे वादी अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार बेगूं द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा रिपोर्ट से सहमत है तथा फर्द बटवारा अनुसार वादी का वादपत्र अंतिम डिक्रि किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक फर्द बटवारे अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पृथक से लिखा जाकर मेरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 16-7-19	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेंगूॅ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 11/2018

1:– जीतू पिता कजोड़ जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीया ,तह0 बेंगूॅ ,
2:– देवी पिता कजोड़ जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीया ,तह. बेंगू,जिला चितौड़गढ़ (राज.)
..........वादीगण

– बनाम –

1:– मु. ड़ालीबाई पत्नि रामा जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीया तह. बेंगूॅ ,
2:– रामा पिता धुला जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीय, तह. बेंगूॅ,
4:– भुमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार बेंगूॅ, जिला चितौड़गढ़(राज.)
5:– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौड़गढ़ जरिये राजस्थान सरकार
6:– शाखा प्रबंधक आई.ड़ी.बी.आई. बैंक ,शाखा चितौड़गढ़ (राज.)
7:– शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक,शाखा राजगढ़, तह. बेंगू ,जिला चितौड़गढ़(राज.)
.........प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा.का.अधि.

उपस्थित :: श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक : 16.07.2019

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त कि आराजीयात मौजा जोधपुरीया प. ह. गोपालपुरा तह. बेंगूॅ में स्थित है, जिसके खाता सं. 50 होकर आराजी नं. 118 रकबा 0.2900 है0, आ. नं. 119 रकबा 0.3800 है0, चाही 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6700 है0. है। उक्त आराजीयात में वादी सं. 1 का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं तथा खाता सं. 46 होंकर आराजी नं. 37 मी. रकबा 0.1800 है0 नहरी आ.नं. 40 रकबा 0.4000 है0 आराजी नं. 47मी. रकबा 0.3500 है0, आ. नं. 56 मी. रकबा 0.1000 है0 आराजी नं. 57मी. रकबा 0.2900 है0, आ.नं. 58मी. रकबा 0.6700 है0, आराजी नं. 59 रकबा 0.1800 है0, आ. नं. 60 रकबा 0.0600 है0, रास्ता आराजी नं. 61 रकबा 0.5100 है0 चाही 62, आ. नं. 62 रकबा 0.0900 है0 चाह, आराजी नं. 120 रकबा 0.3200 हे0 चाही 141, आ. नं. 242 रकबा 2.3800 है0, आराजी नं. 62 रकबा 1.1800 है0 आ. नं. 439 रकबा 0.1600 है0 आराजी नं. 440 रकबा 0.1900 है0 आ. नं. 441 रकबा 0.3300 है0 आराजी नं. 442 रकबा 0.0100 है0 ,बाड़ा आ. नं. आराजी नं. 678/243 रकबा 0.3200 है0, आ. नं. 679/263 रकबा 0.4400 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 8.1600 है0 है। उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं ।

यह कि उक्त आराजीयात में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का दर्ज रेकार्ड हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त होकर मौके पर बाहमी तौर बटवाड़ा हो अपने – अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर बिना रोक टोक काश्त करते चले आ रहे है, पूर्व में पारिवारीक बटवाडा बाबत् एक लिखतम हुई जो भी वादीगण के पास हैं ।

यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बटवाड़ा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधि व मेर पाली व भुमि की किस्म को लेकर आपसी विवाद करते रहते है, और प्रतिवादीगण हर समय लडाई झगड़ा करने पर आमादा रहता है, जिसका की उनको कानूनी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी वादी द्वारा प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

को तहसील में चल कर बटंवाड़ा करने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया इसलिए उक्त दोनों खाते का मौके पर कब्जे व हक हिस्से अनुसार बटवारा कराकर खाता पृथक –पृथक कराने का वादीगण अधिकारी होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वाद कारण दिनांक 05.04.2016 को वादी द्वारा प्रतिवादी को तहसील में चलकर बटवाड़ा कराने को कहा लेंकिन मना करने से पैदा हो हर रोज वर्तमान है।
यह कि प्रतिवादी सं. 4 व 5 वाद में आवश्यक पक्षकार भुमिधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं ।
यह कि वाद वर्णित विवादीत आराजियात तह. बेगूँ में स्थित होने व पक्षकार भी तह. बेगूँ के स्थाई निवासी हाने के कारण वाद श्री मान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमान से वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:–

कि वाद वादीगण का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात मौजा जोधपुरीया प. ह. गोपालपुरा तह. बेगूँ में स्थित है, जिसका खाता सं. 50 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6700 है0. है, में वादी सं. 1 का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 डालीबाई का 1/2 हक हिस्सा अनुसार तथा खाता सं. 46 की आराजीयात कुल किता 19 कुल रकबा 8.1600 है0 में वादीगण का दर्ज रेकार्ड सयुक्त 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 2, 3 के मध्य 1/2 हक हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर खाता वादीगण के नाम पर खातेदारी में पृथक से दर्ज रेकार्ड किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये, उक्त पत्रावली को राजरव लोक अदालत ग्राम पंचायत गोपालपुरा मे दिनांक 22.05.2018 को रखाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया, राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या 3 धन्ना पिता धूला जाट के लाऔलाद फोत होने की रिपोर्ट प्राप्त होने से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम वादपत्र से हटाया जाने का आदेश दिया गया तथा वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गया:

" अतः वाद पत्र वादीगण का अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 का नाम डिलिट किया जाने का आदेश दिये जाते है, तहसीलदार बेगूँ को 1000/– शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौजा जोधपुरिया तहसील बेगूँ की खाता संख्या 50 की आराजी संख्या 118, 119, किता–2 कुल रकबा 0.6700 हैक्टर भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 37 मीन, 40, 47मीन, 56मीन, 57मीन, 58मीन, 59, 60, 61, 62, 120, 242, 262, 439, 440, 441, 442, 478/243, 679/263 कुल किता–19 कुल रकबा 8.1600 हैक्टर भूमि में वादीगण का हक हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार विभाजित किया जाकर पृथक से वादीगण का हिस्सा 1/2 हिस्सा खातेदारी में पृथक से दर्ज रिकोर्ड किया जाने का आदेश दिया जाता है, शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार बदस्तूर डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ तहसीलदार/भू.अ.नि. राजगढ को दी जावें"

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार, बेगूँ को फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार, बेगूँ द्वारा उनके

-----लगातार

Scanned by CamScanner

पत्रांक 591 दिनांक 15.06.2019 से पत्रावली में फर्द बंटवारा प्रस्तुत की गई, प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादीगण की सुनी गई, जिनके द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना जाहिर किया जाकर दावा वादीगण का अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया।

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53–188 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है मौजा जोधपुरिया प0ह0 गोपालपुरा की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :

1. श्री जीतु पिता कजोड़ 1/2 देबी पिता कजोड़ जाट 1/2 सा. देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
37	0.07	1.30
40	0.20	0.50
47	0.17	0.43
57मी.	0.29	0.72
59	0.10	0.25
61	0.51	10.94
120	0.16	3.54
439	0.16	0.40
440	0.19	3.53
262	0.59	10.95
679/263	0.22	0.55
119	0.33	6.85
कुल किता 12	2.99 हे0	39.96

2. दुर्गाबाई पत्नी फोरूलाल 1/4 कमलाबाई पत्नी धन्नालाल 1/4 केसरबाई पत्नी कन्हैयालाल 1/4 जाति धाकड साकिन हरिपुरा प्रेमबाई पत्नी बालू जाट 1/4 साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
242	1.18	2.18
678/243	0.16	0.40
किता 2	1.34 हे0	2.58

3. श्री रामा पिता धुला जाट साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
37मी.	0.11	2.05
40मी.	0.20	0.50
56मी.	0.10	0.25
47मी.	0.18	0.45
58मी.	0.67	15.69
59मी.	0.08	0.20

-----लगातार

Scanned by CamScanner

120मी.	0.16	3.53
441	0.33	6.14
442	0.01	—
242मी.	1.18	2.18
262मी.	0.59	11.00
678/243मी.	0.16	0.40
679/263मी.	0.22	0.55
कित 14	3.99 हे0	42.94

4. डालीबाई पत्नी रामा जाट साकिन देह खातेदार रहन पी.एन.बी. शाखा राजगढ के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
119मी.	0.05	11.03
118	0.29	0.72
किता 2	0.34 हे0	1.75

5. श्री रामा पिता धुला जाट साकिन देह 1/2 दुर्गा बाई पत्नी फोरूलाल 1/8 कमला बाई पत्नी छगनलाल 1/8 केसरबाई पत्नी कन्हैयालाल 1/8 धाकड साकिन हरिपुरा प्रेमबाई पत्नी बालु जाट 1/8 साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
242	0.02	0.04रास्ता हेतु

6. श्री जीतु पिता कजोड 1/4 देवी पिता कजोड 1/4 रामा पिता धुला 1/2 जाट साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
62	0.09	चाह
60	0.06	रास्ता

उक्तानुसार आराजी का बटवाडा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी कृषि आराजी में दखलअंदाजी न स्वयं करे न ही अन्य करावे

निर्णय आज दिनांक 16/07/2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

16/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 11/2018

1:– जीतू पिता कजोड़ जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीया ,तह0 बेंगूँ ,
2:– देवी पिता कजोड़ जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीया ,तह. बेंगू,जिला चितौड़गढ़ (राज.) ....वादीगण

बनाम

1:– मु. ड़ालीबाई पत्नि रामा जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीया तह. बेंगूँ ,
2:– रामा पिता धुला जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी जोधपुरीय, तह. बेंगूँ,
4:– भुमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार बेंगूँ, जिला चितौड़गढ़(राज.)
5:– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौड़गढ़ जरिये राजस्थान सरकार
6:– शाखा प्रबंधक आई.ड़ी.बी.आई. बैंक ,शाखा चितौड़गढ़ (राज.)
7:– शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक,शाखा राजगढ़, तह. बेंगू ,जिला चितौड़गढ़(राज.) ....प्रतिवादीगण

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53–188 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है मौजा जोधपुरिया प0ह0 गोपालपुरा की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:

1. श्री जीतु पिता कजोड़ 1/2 देबी पिता कजोड़ जाट 1/2 सा. देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
37	0.07	1.30
40	0.20	0.50
47	0.17	0.43
57मी.	0.29	0.72
59	0.10	0.25
61	0.51	10.94
439	0.16	0.40
440	0.19	3.53
262	0.59	10.95
679/263	0.22	0.55
119	0.33	6.85
कुल किता 12	2.99 हे0	39.96

-----लगातार

Scanned by CamScanner

2. दुर्गाबाई पत्नी फोरूलाल 1/4 कमलाबाई पत्नी धन्नालाल 1/4 केसरबाई पत्नी कन्हैयालाल 1/4 जाति धाकड साकिन हरिपुरा प्रेमबाई पत्नी बालू जाट 1/4 साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
242	1.18	2.18
678/243	0.16	0.40
किता 2	1.34 हे0	2.58

3. श्री रामा पिता धुला जाट साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
37मी.	0.11	2.05
40मी.	0.20	0.50
56मी.	0.10	0.25
47मी.	0.15	0.45
47मी.	0.03	—
58मी.	0.66	15.69
59मी.	0.08	0.20
120मी.	0.16	3.53
441	0.33	6.14
442	0.01	—
242मी.	1.18	2.18
262मी.	0.59	11.00
678/243मी.	0.16	0.40
679/263मी.	0.22	0.55
कित 14	3.99 हे0	42.94

4. डालीबाई पत्नी रामा जाट साकिन देह खातेदार रहन पी.एन.बी. शाखा राजगढ के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
119मी.	0.05	11.03
118	0.29	0.72
किता 2	0.34 हे0	1.75

5. श्री रामा पिता धुला जाट साकिन देह 1/2 दुर्गा बाई पत्नी फोरूलाल 1/8 कमला बाई पत्नी छगनलाल 1/8 केसरबाई पत्नी कन्हैयालाल 1/8 धाकड साकिन हरिपुरा प्रेमबाई पत्नी बालु जाट 1/8 साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
242	0.02	0.04रास्ता हेतु

-----लगातार

Scanned by CamScanner

6. श्री जीतु पिता कजोड 1/4 देवी पिता कजोड 1/4 रामा पिता धुला 1/2 जाट साकिन देह खांतेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
62	0.09	चाह
60	0.06	रास्ता

उक्तानुसार आराजी का बटवाडा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी कृषि आराजी में दखलअंदाजी न स्वयं करे न ही अन्य करावे।

अंतिम डिक्री की जाकर आज दिनांक 16/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी की गयी।

16/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि पालनार्थ : तहसीलदार बेगूँ।

Scanned by CamScanner